पंजीकृत क्रमांक : S-385/1949-50

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय : 3, मार्बल आर्च, सेनापति बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016

+91 22 24306321/24378866 24313938 abvpkendra@gmail.com www.abvp.org

दि. 23 जुलाई 2024

-:प्रेस विज्ञप्ति:-

नीट-यूजी पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महत्वपूर्ण, शीघ्र आवश्यक कदम उठाए सरकार: अभाविप

नीट-यूजी परीक्षा में गड़बड़ी करने में शामिल माफियाओं पर हो कठोरतम कार्रवाई

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप), नीट-यूजी परीक्षा के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर सकारात्मक मत रखते हुए केन्द्र सरकार से माँग करती है कि सीबीआई जाँच में तेजी लाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे तथा नीट-यूजी के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों पर उचित कदम उठाए।

नीट-यूजी की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर जाँच कर रही सीबीआई को शीघ्रता से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी लोग परीक्षा की शुचिता से समझौता करने में शामिल रहे हों, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि किसी की भी भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं में शामिल होने की हिम्मत न हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीबीआई जाँच की माँग सहित परीक्षा की पारदर्शिता से समझौते को लेकर उठ रहे प्रश्नों के समाधान के लिए जून के महीने में देशव्यापी आंदोलन किया था।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने नीट-यूजी परीक्षा के संदर्भ में जो कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं, उनका पालन करते हुए केन्द्र सरकार को विद्यार्थियों के लिए न्याय सुनिश्चित करना होगा। नीट-यूजी परीक्षा सहित अलग-अलग परीक्षाओं में पारदर्शिता सहित जो विभिन्न समस्याएं सामने आई हैं, उनका स्थायी निदान हो सके, इसके लिए व्यवस्थागत सुधार होने चाहिए।

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री श्री दिगम्बर पवार द्वारा जारी की गई है।)